


13/01/2025

आज पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष
वकीलों द्वारा बहस की गई। उभय-
पक्ष की बहस पर मनन करने एवं
पत्रावली में उल्लेख दस्तावेजों का
अध्ययन करने पर प्रार्थीगण को
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
RTA 1955 स्वीकार किया जाकर
अप्रार्थीगण को जारी अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है
निर्णय पृथक से लिया जाकर शामिल
मिसल है। पत्रावली केसल शुमार
होकर नंबर से कम है एवं संलग्न
मूल बाद रहे।


सहायक कमिश्नर
हुबल